राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प. 23 (17) परि/प्र0नि0/योजना/2017/पार्ट–1/13973 जयपुर, दिनांक 02/07/18

आदेश

विषयः– राजस्थान मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) – 2017 के अन्तर्गत पैनल्टी राशि के ऑनलाईन भुगतान की सुविधा के संबंध में।

राजस्थान मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) – 2017 के प्रावधान संख्या 23 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की समाप्ति के उपरांत पैनल्टी राशि देय होने का प्रावधान है। इस पैनल्टी राशि का भुगतान वर्तमान में ई–मित्र के माध्यम से किया जा रहा है। इससे आम जन को पहले ई–मित्र केन्द्र पर ऑनलाईन पैनल्टी का भुगतान किया जाना होता है इसके उपरांत प्रदूषण जांच केन्द्र पर अपने वाहन को ले जाकर प्रदूषण जांच करायी जानी होती है। इससे वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में इस पैनल्टी राशि के भुगतान की ऑनलाईन सुविधा विकसित की जा चुकी है। अब इस पैनल्टी राशि का भुगतान आम नागरिक द्वारा ऑनलाईन भी किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण जांच केन्द्र के संचालकों द्वारा भी इस पैनल्टी राशि का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा जमा किया जा सकता है। इससे आम जन को एक ही स्थान पर पैनल्टी राशि के भुगतान एवं वाहन के प्रदूषण जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

अतः प्रत्येक प्रदूषण जांच केन्द्र के संचालक द्वारा निर्धारित पैनल्टी राशि का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा जमा किये जाने की सुविधा रखा जाना आवश्यक होगा। इस पैनल्टी राशि के भुगतान की विस्तृत प्रक्रिया परीशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। समस्त प्रदूषण जांच केन्द्र के संचालक इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आम जन से पैनल्टी राशि जमा किया जाना सुनिश्चित करेगें।

आम जन भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने में विलम्ब की स्थिति में परीशिष्ट 'अ' पर संलग्न प्रक्रियानुसार निर्धारित पैनल्टी राशि का भुगतान ऑनलाईन कर सकेंगे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः प. 23 (17) परि/प्र0नि0/योजना/2017/पार्ट–1/13974–981 जयपुर, दिनांकः 02/07/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पैनल्टी राशि के भुगतान की सुविधा का आमजन में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री पी.एन. शर्मा, डी.जी.एम, REIL को नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान हेतु।
7. अध्यक्ष, राजस्थान पैट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, पैट्रोलियम हाउस, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला परिवहन अधिकारी (प्र.नि.)

Desktop\pollution\poll_ltr